न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

Misc2018-0232Ju2018-13 Smt. Bhawaridevi etc Vs Kishnaram

---

1. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री श्री माणकलाल जी पत्नी बाबूलाल जाति ब्राहमण, निवासी- भाटी पेट्रोल पम्प के पास, नागौर।
2. श्रीमती प्रेम पुत्री स्व. श्री माणकलाल पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहमण, निवासी मदेरणा कॉलोनी, कृषि मण्डी के पास, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. किशनाराम पुत्र रामलाल जाति ब्राहमण, निवासी- ग्राम रिडमलसर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

बजदायरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित-

श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता-प्रार्थीगण,
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अप्रार्थी

नि र्ण य

दिनांक : 11 अक्टूबर 2021

प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 56/2011 अनवान श्रीमती भंवरीदेवी बनाम किशनाराम दिनांक 25 मई 2012 को अदम पैरवी में खारिज किये जाने पर उक्त अपील को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 09 जूलाई 2018 को प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-प्रार्थीगण ने तथ्यों एवं प्रार्थना-पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 206/2009 बअनवान किशनाराम बनाम भंवरीदेवी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2011 के विरुद्ध अपील संख्या 56/2011 अनवान भंवरीदेवी बनाम किशनाराम प्रस्तुत की गई। विवादग्रस्त भूमियां ग्राम रिडमलसर तहसील फलोदी अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के पिता स्व. माणकलाल की स्वअर्जित भूमियां है। प्रार्थीगण स्व. माणकलाल जी की प्रथमश्रेणी वारिस एवं स्व. माणलाल जी द्वारा वसीयतनामा प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित किये जाने से वे वादग्रस्त भूमियों की खातेदार काश्तकार हो गई तथा वादग्रस्त भूमियों बाबत् खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण मे निहित हो गये। अप्रार्थी किशनाराम द्वारा कूटरचित दस्जावेजों के आधार पर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 733 रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा बाबत अवैध व अनाधिकार रूप से अपने हक व अधिकार वलेम करते हुए नामांतरकरण स्वयं के नाम पारित करवा दिया, जिसे सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउंटर वलेम भी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के बाध्यकारी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए एक तरफा रूख अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध मूल अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में पैरवी प्रार्थीया भंवरीदेवी के पति श्री बाबूलाल जी करते थे तथा आवश्यकता होने पर अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर करवा देते थे। अपील की पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी ने श्री बाबूलाल जी को आश्वस्त किया कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष पक्षकारान् की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है एव जब भी आवश्यकता होगी तब उन्हें बुला लिया जावेगा। श्री बाबुलाल जी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का दिनांक 16.06.2011 को देहांत हो गया। तत्सयम तक अपीलार्थीगण को न्यायालय में की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी नहीं थी एवं न ही अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के संबंध में भी किसी प्रकार की कोई जानकारी थी। प्रत्यर्थी द्वारा मौके पर अत्यधिक विवाद करने एवं मौके पर खून खच्चर होने एवं शांति भंग होने की संभावना होने पर अपीलार्थी संख्या दो प्रेमी देवी द्वारा संबंधित थाने में धारा 145, 146 द. प्र.स के तहत कार्यवाही भी प्रस्तुत की गई थी, जो संबंधित थाना को जांच हेतु प्रेषित की गई। किंतु विगत लंबे समय तक पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करने पर अपीलार्थी प्रेम देवी द्वारा जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति के समक्ष अपनी उक्त कार्यवाही के संबंध में शिकायत भी की गई। जिस पर सतर्कता समिति द्वारा दिनांक 12.06.2018 को स्थगन आदेश निरंतर जारी होने के संबंध में अपीलार्थीगण को सूचना दी, जिस पर अपीलार्थीनी द्वारा आलोच्य आदेश की नकल हेतु आवेदन दिनांक 12.06.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जो प्रतिलिपि दिनांक 13.06.2018 को प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम आलोच्य आदेश की जानकारी हुई। जिस कारण जानकारी के आधार पर अपीलार्थीगण हस्तगत अपील पुर्नस्थापित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत कर रहे है। हस्तगत अपील में अपीलार्थीगण के मूलभूत अधिकारों का निस्तारण होना है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के मुताबिक भी प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए, यही मंशा है। यदि अपील पुर्नस्थापित नहीं की जाती है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रत्यर्थी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अवैध व अनाधिकार रूप से अपना कब्जा स्थापित करने में सफल हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील पुर्नस्थापित की जाकर विधि की मंशा अनुसार गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अंत में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अंदर म्याद शुमार किया जाकर न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जावे तथा अपील पुर्नस्थापित किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

जवाब में अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया अपील संख्या 56/2011 अनवान श्रीमती भंवरीदेवी बनाम किशनाराम अदम पैरवी में खारिज हो जाने के लगभगत छः साल बाद प्रार्थीगण द्वारा अपील पुंर्नस्थापित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक एवं विधिसंगत कारण नही बतलाया गया है। प्रार्थीनी भवंरी देवी के पति का देहांत 16.06.2011 को हुआ था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2011 को स्व. बाबुलाल के देहांत के लगभगत 3 माह बाद पारित किया गया तथा अपील दिनांक 25.05.2012 को अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या कथनों के साथ अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें।

मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मुताबिक प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2011 के विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किये गये है कि हस्तगत अपील में अपीलार्थीनी के पति बाबुलाल कार्यवाही करते थे तथा दिनांक 16.06.2011 को उनके निधन के पश्चात अपीलार्थीगण को अपील/अधिवक्ता के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रही। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **अपीलाधीन आदेश 20.09.2011 से पूर्व ही अपीलार्थीनी के पति बाबुलाल को देहांत दिनांक** 16.06.2011 **को हो गया था। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र विरोधाभासी एवं मिथ्या कथनों के साथ प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है।** प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हुए **6 वर्षो के विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया** तथा मिथ्या कथनों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी काल वर्जित होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर